



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936

No. 1956]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASVINA 1, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

(आय-कर)

का.आ. 2478(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और ऐसी कीमत के, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच अंतर थोक व्यापार की बाबत बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और सभी अन्य मामलों में बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसी कीमत को जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आसन्निकट कीमत समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :-

- तैयार माल की क्रय लागत ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है; और
- ऐसे माल की औसत मासिक संवरण सूची ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रय का दस प्रतिशत या उससे कम की है।

[अधिसूचना सं. 45/2014/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

गौरव शर्मा, अवर सचिव